



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 208/18

निर्णय दिनांक:-11.06.2018

1. दयालगर पुत्र जेठगर जाति गुंसाई निवासी शेखसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-12-2003  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18-12-2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 7 डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 67/11 के किला नम्बर 3 ता 5, 12, 13, 19 ता 22 में 9 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था।

अपीलांट को उक्त आवंटन की कोई सूचना अदालत मातहत द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। जिससे अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर आवंटन आदेश प्राप्त कर सकता। वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18-12-2003 को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये, अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 24-04-18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 24-04-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को चक 7 डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 67/11 के किला नम्बर 3 ता 5, 12, 13, 19 ता 22 बीघा का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् अदालत मातहत द्वारा क्रमांक 12490 दिनांक 26-12-2002 को नोटिस जारी किया गया कि वे वांछित सबूत व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित आवे। उक्त नोटिस के उपरान्त अपीलांत वांछित सबूत व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया।

(3) तदुपरान्त अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को पुनः एक नोटिस क्रमांक 6868 दिनांक 22-08-2003 जारी किया गया कि वे आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। अपीलांत उक्त नोटिस के बावजूद भी अपीलांत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही अदालत मातहत के समक्ष वांछित सबूत प्रस्तुत किये ना ही आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवंटन उपस्थित नहीं आने व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, का आदेश दिनांक 18-12-2003 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर